न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी नरेन्द्र सिह पुरोहित आर.ए.एस
अपील संख्या 31/2017 एल आर एक्ट
अनवान भागीरथ बनाम गणपत वगैरह

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
10–09–2018	अभिभाषक अपीलान्ट श्री विजय कुमार पारीक एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। इस न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के निमित जारी सम्मन पर तहसीलदार (राजस्व) नोहर की रिर्पोट अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 फौत हो गये है। अभिभाषक अपीलांट को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं उनके जायज वारिसानो की सूची पेश करने हेतु लगातार पाबन्द किया जाने के बावजूद भी आज तारीख पेशी तक पेश नही किया है। इस संबध मे अभिभाषक अपीलांट ने बतलाया कि अपीलांट मेरे संपर्क में नही हे। पत्रावली वर्ष 2006 से विचाराधीन चल रही है। जिसमे कई बार अभिभाषक अपीलांट को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं उनके जायज वारिसानो की सूची पेश करने हेतु पाबन्द किया गया हे। अपीलांट एवं अभिभाषक अपीलांट जो स्वय न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में आकर अपील प्रस्तुत की लेकिन बाद मे स्वय न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश के अभाव को सिद्व करती है व स्वेच्छा से मामला चलाने मे अरूचि जाहिर करती है। न्याय की वांछा करने वाले पक्षकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह उन व्यक्तियो के नाम पते व जानकारी न्यायालय को दे जिनके विरूद्व वह उपचार चाहता हे। इस प्रकार अभिभाषक अपीलांट को बार–बार पाबन्द करने के उपरान्त भी न्यायालय के आदेश की पालना नही करने के कारण यह पत्रावली अदम तकमील में खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। अति. संभागीय आयुक्त बीकानेर	